

स्वच्छ जलकृषि विकास कार्यक्रम – स्वच्छ जल कृषि विकास कार्यक्रम

1	योजना का नाम	स्वच्छ जल कृषि विकास कार्यक्रम	
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राज्य के ग्रामीण युवकों को मत्स्य पालन प्रशिक्षण देकर ग्रामीण छोटे जलाशयों में मछली पालन से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ मत्स्य उत्पादन बढ़ाना।	
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2002-03	
4	लाभान्वित वर्ग	आमजन	
5	पात्रता	मत्स्य पालन प्रशिक्षण	
6	देय सुविधाएँ	1.	10 दिवसीय प्रशिक्षण रु0 100/- प्रतिदिन प्रशिक्ष भत्ता
		2.	सामान्य श्रेणी के मत्स्य कृषकों को 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के मत्स्य कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान निम्न कार्यों पर :- <ul style="list-style-type: none"> ● निजी भूमि पर मछली पालन तालाब का निर्माण ● दीर्घ अवधि के लिये आवंटित जलाशयों का जीर्णोद्धार ● प्रथम वर्ष उपादान पर व्यय ● नाव जाल क्रय पर

7	आवेदन का तरीका	सादे कागज पर प्रार्थना पत्र
8	आवेदन कहाँ किया जावे	जिला मत्स्य कार्यालय
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएँ	निजी भूमि के भू-राजस्व रिकार्ड की प्रति/ दीर्घ अवधि के लिये आवंटित जलाशय का आवंटन पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	जिला मत्स्य अधिकारी